International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 422-425

पंचायती राज एवं प्राथमिक शिक्षा

डॉ0 कमलेश पाल

पोस्ट डॉक्टोरल फैलो, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधियिम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम–स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेन्द्रित करने के उददेश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया।

मूल शब्दः पंचायती राज, गोंड जनजाति, 73वॉ संविधान संशोधन, ग्राम स्वराज व्यवस्था

प्रस्तावना

लोकतंत्रीय राजनैतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यो में अनवरत रूचि बनी रहती है। ये लोग अपने स्थानीय स्तर पर नियामकीय एवं विकास कार्यो का सम्पादन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। भारत में पंचायत व्यवस्था की पृष्ठभमि अतिप्राचीन रही है। यद्यपि उसका स्वरूप पृथक–पृथक रहा है। वैदिक साहित्य में 'ग्राम' प्रशासन की सबसे छेटी इकाई थी। उस समय इसका मुखिया ग्रामिणी कहलाता था। वह ग्राम के श्रेष्ठ एंव वयोवृद्ध लोगों से सलाह लेकर अपना कार्य करता था। इसी प्राकर ग्राम संस्थाओं का उल्लेख रामायण एंव महाभारत काव्य ग्रंथों में मिलता है। कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' मौर्यकाल में प्रचलित ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। महान मौर्य सम्राटो ने भी शासन की सबसे छोटी इकाई में हस्तक्षेप नहीं किया और ग्राम समुदायों को उसी रूप में रहने दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में ग्राम प्रशासन कायम रहा।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधियिम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम–स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायतीयराज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेन्द्रित करने के उददेश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है जिसके लिए ग्राम सभा में कोष की व्यवस्था की गई है जिसके चार भाग है–(1) अन्न कोष (2) श्रम कोष (3) वस्तु कोष (4) नगद कोष।

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के छिदवाड़ा जिले के जुन्नार देव जनपद पंचायत के पांच ग्राम पंचायत (1) दमुआ (2) राखी कोल (3) घोरावारी खुर्द (4) करन पियरिया (5) विलावर कला है। इन सभी ग्राम पंचायतो में गोंड जनजातियों की जनसंख्या लगभग 60. 00 प्रतिशत से अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण इन ग्राम पंचायतों में सरपंच के पद इन्ही जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। सरपंच के पदो पर निर्वाचित जनजातीय प्रतिनिधि निश्चित रूप से अपने समाज के प्रति संवेदनशील होगें और उन्हें ऊॅचा उठाने का प्रयास भी करेगें। इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र का चयन अध्ययन के लिए किया गया।

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छतीसगढ के पठारी तथा जंगली भागों मे अनेक जनजातियों के लोग रहते है जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडों की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16 वीं शताब्दी तक था। गोंड शब्द कोंड का हिन्दी रूपान्तर है जिसके लिए कोयतोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिसलप के अनुसार–गोंड या गुण्ड शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के कोण्डा से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना जाता है। रशल और हीरालाल (1935) के अनुसार गोंड और उनकी उपजातियां स्वंय की पहचान 'कोय' या 'कोयतोर' शब्द से करती हैं जिसका तात्पर्य मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य है। ग्रियर्सन (1931) का कथन है कि मध्य से लेकर पूर्वी भागों और हैदराबाद तक जहां कही भी गोंड अपनी भाषा का प्रयोग करते है अपने को 'कोया' या 'कोयतोर' कहते है।

मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियों का विस्तार सतपुड़ा रेंज के छिदवाडा, बैतूल, होशंगावाद,सिवनी, नरसिंहपुर और मडला जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। कालान्तर में गोंड जनजातियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने राज्य विकसित किये इनमें से नर्मदा भदी बेसिन पर स्थित 'गढ़ मण्डला' एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। गोंडी भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा प्राचीन पांच भाषाओं में से एक होने के कारण अनेक देशी विदेशी भाषाओ की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्यदेव शंभू शेक के डमरू से हुई, जिसे गोएन्दाधिवासी या गोंड वासी कहा जाता है अति प्राचीन भाषा होने के कारण गोडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि और व्याकरण है जिसे समय.समय पर गोंडी साहित्यकारों ने प्रस्तको के माध्यम से प्रकाशित किया हैं।

शारीरिक रचना का जहां तक प्रश्न है, गोंडों के बाल. चमडी और आंख की पुतली गाढे रंग की होती है। सिर मुख्यतः लम्बे तथा इनकी शीर्ष देशना कम होती है क्योंकि इनके सिर बहुत संकरे होते हैं तथा मस्तक भी सेकरा होता है चेहरा सामान्य रूप से चौडा दिखता है और ठोढी संकरी तथा नुकीली होती है इस प्रकार चेहरे में होठ विशेष प्रकार का मोटा तथा सामने की ओर निकला होता है आंखों में उपरी पलक छुपी सी रहती है तथा उनकी उचाई माध्यम से निम्न तक होती हैं इनके पैर लम्बे धड अपेक्षाकृत छोटे तथा गोड लोग लोग दुबले होने पर भी मजबूत होते है। प्रायः गोड लोग काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते है किन्तु इनके अंग भद्दे रिखाई देते है।

तालिका 01: उत्तरदाताओं की पंचायत में शाला की स्थिति

क्र0	पंचायत में शाला की स्थिति	पुरुष		महिला		कुल	
		सं0	प्रति0	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0
1	प्राथमिक	49	30.25	26	29.55	75	30.00
2	माध्यमिक	32	19.75	18	20.45	50	20.00
3	उच्च माध्यमिक	49	30.25	26	29.55	75	30.00
4	विद्यालय नहीं	32	19.75	18	20.45	50	20.00
	योग–	162	100.00	88	100.00	250	100.00

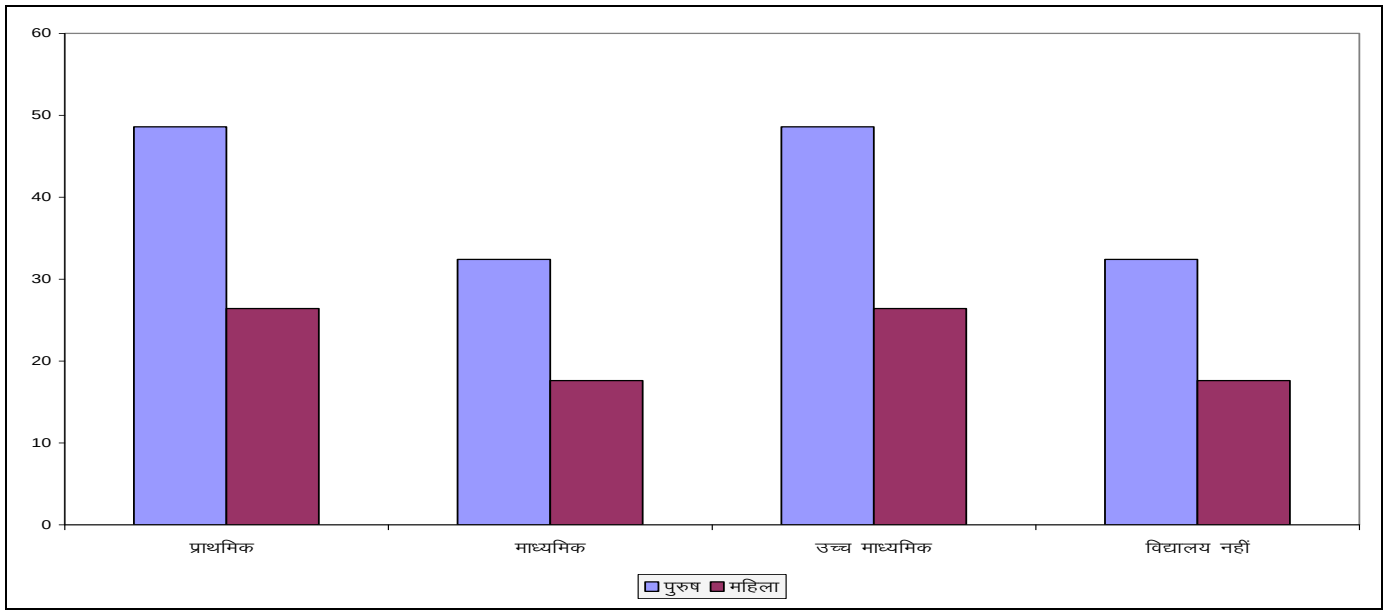

आकृति 1

उक्त तालिका के अनुसार 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहाँ प्राथमिक शिक्षा, 20.00 प्रतिशत के यहाँ माध्यमिक शिक्षा, 30.00 प्रतिशत के यहाँ उच्च माध्यमिक शाला है। इसी प्रकार 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं की पंचायत में शाला ही नहीं है।

अतः इस आधार पर यह स्पष्ट है कि आज अधिकांशतः उत्तरदाताओं की पंचायत में शाला है। पंचायतों के माध्यम से इसकी व्यवस्था हर पंचायत में प्रगति पर है और आने वाले वर्षों में शिक्षा के लिए इन्हें बाहर नगरों में नहीं जाना पड़ेगा।

तालिका 2: शाला में शिक्षकों का नियमित रूप से आना

क्र0	शिक्षको का नियमित	पुरुष		महिला		कुल	
	रूप से आना	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0
1	हां	74	45.68	40	45.46	114	45.60
2	नहीं	54	33.33	29	32.95	83	33.20
3	पता नहीं	34	20.99	19	21.59	53	21.20
	योग–	162	100.00	88	100.00	250	100.00

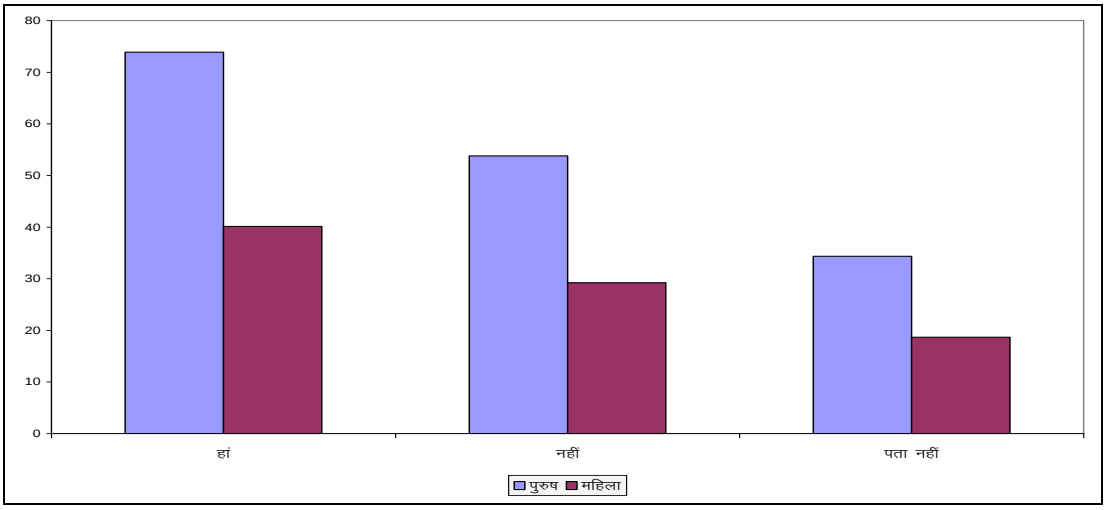

आकृति 2

तालिका 02 के अनुसार 45.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी पंचायत में शाला के शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में आते हैं तथा 33.20 प्रतिशत का कहना है कि शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते हैं और इसी प्रकार 21.20 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि उनकी पंचायत में स्थित शाला के शिक्षक नियमित रूप से आते हैं या नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय स्थित होने के कारण नियमित रूप से शिक्षक नहीं आते हैं फिर भी उन पर पंचायतों का नियंत्रण रहता है।

अतः इस आधार पर स्पष्ट है कि शिक्षक विद्यालय में आते हैं और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे है। ग्रामीणों के अनुसार शिक्षक अभिभावकों को अपने स्तर पर समय–समय पर प्रेरित भी करते रहते हैं कि वे अपने बच्चों को शाला भेजें। शिक्षकों की इस प्रेरणा का परिणाम भी नजर आता है। पंचायतों के प्रत्यक्ष नियंत्रण से ग्रामीण शालाओं में शिक्षकों की उपस्थिति व अध्यापन स्थिति मे काफी सुधार हुआ है।

तालिका 3: शाला की सरपंच द्वारा देखभाल

क्र0	सरपंच द्वारा देखभाल	पुरुष		महिला		कुल	
		सं0	प्रति0	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0
1	कभी–कभार	62	38.27	33	37.50	95	38.00
2	कभी–नहीं	53	32.72	29	32.95	82	32.80
3	पता नहीं	47	29.01	26	29.55	73	29.20
	योग–	162	100.00	88	100.00	250	100.00

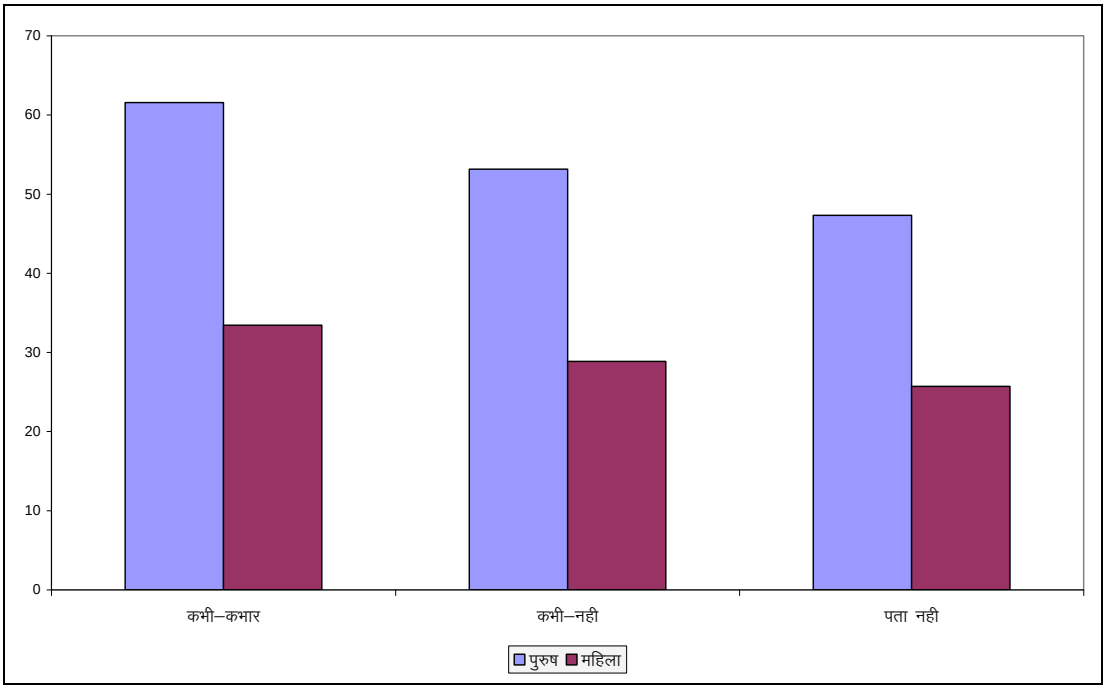

आकृति 3

उक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 38.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि सरपंच द्वारा कभी–कभार शाला की देखभाल की जाती है और 32.80 प्रतिशत का कहना है कि सरपंच कभी भी शाला के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार 29.20 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात की खबर नहीं रखते कि सरपंच शाला की देखभाल के लिए आते हैं या नहीं।

उल्लेखनीय है कि सरपंच द्वारा शाला की देखभाल समय–समय पर की जाती है। पंचायत के सरपंच तथा अन्य प्रतिनिधियों के शाला में आने से शिक्षकों में एक सक्रियता बनी रहती है। अतः पंचायतों को शालाओं पर नियंत्रण के अधिक अधिकार दिये जायें जिससे शिक्षा के स्तर एवं अनुशासन में कसावट की स्थिति बनी रहे।

सुझाव

- पंचायत स्तर पर हार एवं वाजारों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।
- पंचायती राज द्वारा शासकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए जिससे इनका आर्थिक विकास हो सके।
- पंचायतीय राज को ऋण की सुविधा आसानी से दिलाये जाने पर प्रयत्न करना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर एक कोष की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि समय–समय पर इनके आर्थिक विकास हेतु अनुदान एवं सहायता दे सके
- इनको आत्म निर्भर और स्वावलम्बी बनाने के लिए प्राथमिक रूप से जागरूक करना चाहिए

सन्दर्भ

1. भट्ट, आशीष (2002): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. बसु, दर्गा दास (2013): भारत का संविधानः एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, गुडगॉव हरियाणा।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (2007): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (2003): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. खेत्रपाल, बी सी (2010): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994): वालेन्टरी आर्गेनाइजेषन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशर्स उदयपुर।
8. पालीवाल, एस एल (2000): जनजाति विकास के पंचशील सिद्धात, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3–5
9. प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड़ 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
10. रामप्यारे, (1991): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
11. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड़ जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
12. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
13. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आषीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाः विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
14. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
15. त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति।
16. तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
17. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
18. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेन्ट इन इंडियाः ए क्रिटिकल अप्राजल, काउन पब्लिकेशन्स राची।
19. वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकासः मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।